बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰(II) सब रीजनल सा॰ से॰–21/2014– /पटना, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – गया में निर्माणाधीन सबरीजनल साईंस सेन्टर के परिसर से गुजर रहे Low Tension Transmission Line को हटाने संबंधित कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रू॰ 1,07,000=00 (एक लाख सात हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को विमुक्त करने के संबंध मे।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के पत्रांक–285, दिनांक 10.05.2018 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए "India Power Corporation (Bodhgaya) Limited" द्वारा समर्पित प्राक्कलन के आधार पर गया में निर्माणाधीन सबरीजनल साईंस सेन्टर के परिसर से गुजर रहे Low Tension Transmission Line को हटाने संबंधित कार्यो के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रू॰ 1,07,000=00 (एक लाख सात हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गया से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से India Power Corporation (Bodhgaya) Limited को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) सब रीजनल सा॰ से॰–21/2014– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) सब रीजनल सा॰ से॰–21/2014– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) सब रीजनल सा॰ से॰–21/2014– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) सब रीजनल सा॰ से॰–21/2014– 1504 /पटना, दिनांक– 18-6-2018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/18
सरकार के उप सचिव

15/06/18